न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक टिब्बी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 079/2023

गुरजन्ट सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। – – प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 2 जे.डब्ल्यू.डी.–ए मोधूनगर तहसील रावतसर हाल वार्ड नम्बर 3 चक 7 के.एस.पी.तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अकोबाई पुत्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गोगाबाई पुत्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री महेश कुमार गौड़ अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 3
3. श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 4 ता 5

निर्णय

दिनांक :– 06.09.2024

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पिता है आराजी वाके चक नम्बर 13 सी.डी.आर. जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता संख्या 138/128 में दर्ज 1.5180 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 139/69 में मुश्तरका खाता में दर्ज 0.7590 हैक्टर में 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना-पत्र है।

प्रार्थी शादी शुदा है तथा परिवार से अलग रह रहा है उक्त आराजी जी जायदाद है जिसमे प्रार्थी का जन्म सें हक व हिस्सा है पक्षकारान के मध्य उक्त आराजी का अर्सा 5 वर्ष पूर्व बाहमी विभाजन हो चुका है मुताबिक बाहमी विभाजन प्रार्थी अपने 1/3 हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी उपरोक्तानुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमी की रकमराज आबियाना आदि जमा खजाना राज करवाता है तथा पानी कि बारी आदि प्रार्थी के ही नाम से चली आ रही है तथा मौका पर प्रार्थी की फराल नरमां काश्त कि हुई है।

Scanned with CamScanner

उक्त आराजी जद्दी जायदाद है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा का कानूनी हक है यह की प्रार्थी उपर दर्ज बाहमी विभाजन अनुसार काबिज है व इसी तरह रकम राज आबियाना आदि जमा खजानाराज करवा रहा है मगर उक्त आराजी अभी तक उपरोक्तानुसार दर्ज नही है तथा प्रार्थी का हिस्सा उसके नाम दर्ज नही है इस प्रकार विवादीत आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है।

अतः प्रार्थी यह घोषणात्मक डिक्री पाने के दावेदार है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज आराजी में 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व उक्त आराजी में अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम करवाने का दावेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थी का पिता है विवादीत आराजी को बिना किसी जायज आवश्यक्ता व बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये रहन, बैय कर सकता है ऐसी प्रार्थी को पूरी आशंका है यदि अप्रार्थी अपनी नासमझ के कारण उक्त समस्त आराजी रहन बैय कर दी तो प्रार्थी को व उसके परिवार को अपरीमेय क्षती होगी। अप्रार्थी संख्या 1 काफी समय से प्रार्थी से नाराज है व उसे नुकसान पंहुचाने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी है कि वह उक्त आराजी को दिगर व्यक्तियो को बैय फरोख्त कर देगा इस आराजी के अलावा उसके भरण पोषण का अन्य कोई साधन नही है । यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस गलत कार्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति, घोर मानसिक वेदना व क्षति होगी व उसको भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। प्रकरण प्रथम द्रष्टया मामला व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैर सायलान इस आश्य की जारी की जावे की गैरसायलान आराजी जिसका विवरण प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज है को रहन बैय या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित करनें से ममनूं व बाज रहे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्रसिंह को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.06.2023 द्वारा पाबंद किया गया कि चक नम्बर 13 सी.डी.आर. के खाता संख्या 138/128 में दर्ज कुल 1.518 हैक्टर आराजी एवं इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 139/69 में कुल 0.759 हैक्टर आराजी में से अप्रार्थी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा अर्थात 0.253 हैक्टर आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्रसिंह किसी प्रकार रहन बैय व मुन्तकिल से निषेध रहे एवम् आराजी कृषि भूमि में आगामी पेशी तक रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया प्रार्थी सुनील एवं प्रार्थीया अकोबाई व गोगाबाई द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में को बतौर अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाद विधिवत तामील होने के उपरान्त भी स्वयं या कोई प्लीडर हाजिर अदालत नही आने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित यह कथन कि अनवान सदर का दावा न्यायालय में पेश हो चुका है कथन स्वीकार हैं किन्तु यह कथन कि जिसमें सायल को कामयाबी की

Scanned with CamScanner

पुरी आशा हैं कथन स्वीकार नही है अपितु मुझ अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में पूर्ण कामयाबी होने की आशा है। चरण संख्या 2 मे वर्णित एंवम अंकित तथ्य प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 के आपसी सम्बन्ध पुत्र व पिता का होना दर्शाया गया है एंवम शेष अंकित तथ्यों में मुताबिक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी के चक नम्बर 13 सी.डी.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 138/128 में अंकित भूमि और इसी चक के खाता संख्या 139/69 मे अंकित मुस्तरका खाता आराजी में 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व होना दर्शाया गया जो कि रिकॉर्ड से सम्बन्धित तथ्य है जिन पर कोई टिप्पणी नही है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे जिस प्रकार से तथ्यों को वर्णित एंवम अंकित किया गया है वो बिना किसी विधिसमत् आधारित दस्तावेजो के हवाला दिये बिना अपनी सोच से अपनी इच्छा अनुकूल मनगढ रूप से तथ्यों को बनाकर दर्ज किया है जो कि स्वीकार नही है चूंकि तथ्य अस्पष्टतया लिये हुवें जैसे प्रार्थी कब से अलग रह रहा है जदी जायदाद किस आधार से बनाई गई है अंकित कथन बाहमी विभाजन का कोई दस्तावेजी सबूत को नही दर्शाया गया अंकित कथन कि प्रार्थी अपने 1\3 हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है कथन भी Page 2 of 4 विश्वास योग्य नही हैं चूंकि परिवार का कोई सजरा नक्शा अंकित नही जिससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के जायज व कानून कितने वारिस है इन तथ्यों के अभाव मे चरण संख्या के अंकित तथ्यों विश्वास योग्य नही बनते हैं कोरी प्रार्थी की निजी सोच हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में जिस कदर से आधारहीन बिना किसी दस्तावेजो को प्रस्तुत किये तथ्यों को दर्ज किया गया हैं जो कि स्वीकार नही हैं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 मे अंकित यह कथन कि उक्त आराजी जदी जायदाद हैं जिससे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा का कानूनी हक हैं तथ्य असत्य एंवम बिना किसी विधिसमत आधारित दस्तावेजो के प्रस्तुत किये जो महज गुमराह करने की गर्ज से उक्त कथन अंकित किये है जो कि सारहीन एंवम महत्वहीन होने की सुरत में अप्रभावी कथन है, चरण संख्या मे अंकित शेष कथन असत्य, मनगढत सचाई को छिपाते हुए कथन दर्ज किये गये है जो कि स्वीकार नहीं हैं जबकि सत्यता यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने दिनांक 05.06.2023 के पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह द्वारा तथा कथित अपनी स्वयं की हक व हिस्सा की भूमि का बेचान दिनांक 30.05.2023 को चक नम्बर 13 सी.डी.आर. पटवार हल्का सूरेवाला जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 139/69 खाता नत्थासिंह बगेरा में कुल किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.759 हैक्टर नहरी खातेदारी रकबा में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 पूर्ण हिस्सा संयुक्त खाता मे से अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार बैय बहक मुझ अप्रार्थी सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई सा0 2 जे.डब्ल्यू.डी.-ए मोघूनगर तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड नम्बर 03, चक 7 के.एस.पी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज को जरिये बैयनामा तरदीक उपपंजीयक पदेन तहसीलदार के कार्यालय से पंजीबद्ध करवाकर अप्रार्थी के हक में तथाकथित आराजी बैय व फरोक्त कर दी जो कि दिनांक 30.05.2023 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 314 में पृष्ठ संख्या 163 क्रम संख्या 202303420100659 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1203 के पृष्ठ संख्या 85 से 91 पर चस्पा किया गया। 202301420001686 Sale deed (Conveyance deed) हैं।

इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र सिंह ने उपरोक्त वर्णित चक नम्बर 13 सी. डी.आर. के खाता संख्या 138/128 में पत्थर नम्बर 211/265(29) किला नम्बर 13/0.253 नहरी, 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 गै0मु0 खाला, 16/1/0.228

Scanned with CamScanner

मुरी 16/2/0.026 मैकलूक खाता, मुरब्बा नम्बर 212/264(39) किला नम्बर 8/6 283 नहरी मूल किला 6 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी मय मैकलूक खाता भूमि स्व की खातेदारी रकबा अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार बैय बहक मुझ अप्रार्थी सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 2 जे डब्ल्यू डी ए (2 JWDA) मोहनपुर तहसील रावतसर हाल वार्ड नम्बर 03 चक 7 के एस पी (7KSP) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज. को जरिये बैयनामा तस्दीक उपपंजीयक पदेन तहसीलदार कार्यालय से दिनांक 30.06.2023 को बैय व फरोख्त कर्ताई करके उक्त रकबा 1.012 हैक्टर का कब्जा मुझ अप्रार्थी खरीददार सुनील कुमार को सौंप दिया गया था। उक्त बैयनामा दस्तावेज **Registration endorsement** दिनांक 30.06.2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 314 मे पृष्ठ संख्या 164 पृष्ठ संख्या 164 क्रम संख्या 202303420100660 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1203 के पृष्ठ संख्या 92 से 98 पर चस्पा किया गया A Sale deed (Conveyance deed) 202301420001687 है। महेन्द्रसिंह द्वारा अपनी खातेदारी हक हकूक की भूमि का विधिसम्मत विधिक प्रावधानो इससे स्पष्ट है कि तथाकथित भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 के अनुकूल मुझ अप्रार्थी सुनील कुमार के हक में बेचान बैयनामा तस्दीक करवाया है। जो कि प्रभावी बैयनामा है जिसके अनुकूल मुझ अप्रार्थी उक्त तथाकथित रकबे का खातेदार काश्तकार बनता है जिस जरिये उक्त बैयनामा के अपने नाम दर्ज कागजात राजस्व मे अमल दरामद करवाने का अधिकार प्राप्त होता है और कानूनन अधिकारी बनता है। चूंकि मुझ अप्रार्थी जरिये बेचान बैयनामा के उक्त तथाकथित वर्णित भूमि का कानूनी रूप से खरीददार एंवम भूमि का स्वामित्वधारक एव स्वामित्वधीन के रूप मे खातेदार कृषक बनता है अगर मुझ अप्रार्थी को इस स्थिति में अपने कानूनी अधिकारो से वंचित किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को ना पुरा होने वाली क्षति पहुंचेगी यानि अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों पैसो मे नही की जा सकती और वाद बाहुल्यता बढ़ने की सम्भावना उत्पन्न होगी।

मुझ अप्रार्थी का तथाकथित भूमि पर कानूनी प्रथम दृष्टया मामला बखूबी मेडआऊट होता है इसी के साथ विधिक सन्तुलन भी मुझ अप्रार्थी के हक मे साबित होता है, चूंकि बैयनामा तथाकथित प्रभावशाली है जो कि कानूनी रूप से विधिसम्मत दस्तावेज है जिसको नकारा नही जा सकता चरण संख्या 6 मे अंकित यह अंकित यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पिता है अंकित कथन विवाद रहित शेष अंकित चरण संख्या के तथ्य जिस कदर से अंकित एंवम वर्णित किये हैं वो स्वीकार नही है। अपितु निवेदित है कि तथ्य जिस प्रकार से वर्णित एंवम अंकित किये गये है तथ्य सारहीन एंवम आधारहीन है जिनका विधि अनुकूल किसी प्रकार से विधिक वजूद उत्पन्न यानि की पैदा नही होता है, इसके अभाव मे प्रार्थी अंकित तथ्यो के अनुकूल किसी प्रकार से मौजूदा स्थिति मे मुझ अप्रार्थी सुनील कुमार के खिलाफ किसी किस्म का विधिक उपचार हासिल करने के लिये कानून अधिकारी नही होता है अंकित तथ्य नाकाबिल कानून पोषणीय की श्रेणी के तथ्य है जो कि महत्वहीन है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 तथाकथित भूमि को प्रार्थना पत्र दायर करने से पूर्व ही मुझ अप्रार्थी को बेचान कर चुका था।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 मे अंकित तथ्य स्वीकार नही है। अपितु निवेदित है कि प्रथम दृष्टया मामला एंवम विधि का संतुलन मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे मेड आऊट होता है और अपूर्णनीय क्षति भी अप्रार्थी को पहुंच रही है चूंकि अप्रार्थी तथाकथित अंकित तथ्यों के जेरकार प्रार्थना पत्र की भूमि का विधिसम्मत एंवम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत जरिये बेचान बैयनामा के जिसका विवरण उपरोक्त चरणों मे भी निवेदित एंवम

वर्णित किया गया है कि तथाकथित भूमि का विधिवत स्वामित्वधारक व स्वामित्वहीन भूमि के है, बैयान बैयनामा विधिवत प्रभावशाली दस्तावेज है जिसके विपरीत किसी किस्म का अप्रार्थी के खिलाफ आदेश पारित किया जाता है तो उस स्थिति में प्रार्थी का ना पुरा होने वाला आर्थिक नुकसान पहुंचेगा और अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से भी वंचित हो जावेगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश एकतरफा दिनांक 06.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत व असत्य एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है उक्त आराजी में अप्रार्थीयागण का बहिन का जन्म से हक है अप्रार्थीयागण ने प्रार्थी को कभी भी यह नही कहा की वे विवादीत आराजी में किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही लेना चाहती है उक्त आराजी अप्रार्थीयागण के पिता की जद्दी जायदाद है जिसमें अप्रार्थीयागण का जन्म से हक व हिस्सा है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष आने पर दिनांक 06.08.2024 को बहस सुनी गई दौरान बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी जद्दी जायदाद है जिसमे प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा है पक्षकारान के मध्य उक्त आराजी का अर्सा 5 वर्ष पूर्व बाहमी विभाजन हो चुका है मुताबिक बाहमी विभाजन प्रार्थी अपने 1/3 हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी उपरोक्तानुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमी की रकमराज आबियाना आदि जमा खजाना राज करवाता है तथा पानी कि बारी आदि प्रार्थी के ही नाम से चली आ रही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज विवादित आराजी पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने दिनांक 06.06.2023 के पूर्व ही दिनांक 30.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र सतनाम सिंह द्वारा तथाकथित अपनी स्वयं की हक व हिस्सा की भूमि चक नम्बर 13 सी.डी.आर. पटवार हल्का सूरेवाला जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 139/69 खाता नत्थासिंह वगैरा में कुल किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.759 हैक्टर नहरी खातेदारी रकबा में अप्रार्थी का हिस्सा 1/3 पूर्ण हिस्सा एवं चक नम्बर 13 सी.डी.आर. के खाता संख्या 138/128 में पत्थर नम्बर 211/265(29) किला नम्बर 13/0.253 नहरी, 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 गै0मु0 खाला, 16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.025 गै0मु0 खाला, पत्थर नम्बर 212/264(39) किला नम्बर 8/0.253 नहरी, कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर आराजी महेन्द्रसिंह ने मुझ अप्रार्थी सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई को जरिये बैयनामा तस्दीक उपपंजीयक पदेन तहसीलदार के कार्यालय से पंजीबद्ध करवाकर अप्रार्थी के हक में तथाकथित आराजी बेच व फरोक्त कर दी। अतः विवादित आराजी का अप्रार्थी खातेदार है, जिस पर किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्रसिंह ने चक नम्बर 13 सी.डी.आर. के

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 138/128 में पत्थर नम्बर 211/265(29) किला नम्बर 13/0.253 नहरी, 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 गै0मु0 खाला, 16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.025 गै०मु० खाला, पत्थर नम्बर 212/264(39) किला नम्बर 8/0.253 नहरी, कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर एवं इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 139/69 में कुल 0.759 हैक्टर आराजी में से अप्रार्थी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा अर्थात 0.253 हैक्टर आराजी का दिनांक 30.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 3 सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में जरिये पंजीकृत बैयनामा उक्त वर्णित विवादित आराजी का बेचान किया है।

चूंकि प्रार्थी का मामला पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से संबंधित है जो इस न्यायालय से तय नही होकर सिविल न्ययालय से तय होना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोरी की जा सकती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 130/2023 अनवान गुरजन्टसिंह बनाम महेन्द्रसिंह आदि के सलंग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner